



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2011 / 00055

दर्ज तिथि:-21.07.2011

1. भीखाराम पुत्र गंगाराम
जाति विश्नोई निवासी नगर हाल निवासी छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....वादी
- बनाम
1. हीराराम पुत्र जीयाराम के कायम मुकाम
1/1 हनुमानाराम पुत्र हीराराम
1/2 नारायणराम पुत्र हीराराम
1/3 ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
1/4 सोनीदेवी पत्नी हीराराम
2. रामलाल पुत्र जीयाराम
3. भैराराम पुत्र अर्जुनराम
4. जगदीश पुत्र अर्जुनराम
5. सोहन पुत्र अर्जुनराम
6. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम
7. मु. काली बेवा अर्जुनराम
8. भागीरथ पुत्र तुलछाराम
9. हेमाराम पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम
9/1 कमला पत्नी हेमाराम
9/2 सचीन पुत्र हेमाराम
9/3 खुशी पुत्री हेमाराम
प्रतिवादी संख्या 9/2 से 9/3 नाबालिग की कुदरती वली संरक्षक माता कमला पत्नी हेमाराम प्रतिवादी संख्या 9/1 जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी
10. धुड़ाराम पुत्र तुलछाराम
11. जगदीश पुत्र तुलछाराम
जाति विश्नोई निवासी देशांतरी नाडी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....असल प्रतिवादीगण
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी




राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत इस्तकरारहक्क पेश कर निम्न प्रकार निवेदन किया गया:-

- कि वादीगण हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-




- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकब 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि इस प्रकार आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकब 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर आराजी पर 1/2 हिस्से पर वादी के पिता गंगाराम के वारिसों का एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण के पिता जीयाराम के वारिसों का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
- कि वादी के पिता स्व0 गंगाराम का विवाह गांव छोटू में स्व0 रामूराम की पुत्री तेजी से हुआ। तेजी का देहांत सम्बन्त 2018 में हो गया। वक्त बंदोबस्त के समय वादी के पिता गंगाराम के देहांत होने के कारण वादी की माता एवं गंगाराम के दोनों पुत्र गणपत व भीखाराम मौके पर काबिज काश्त थे। वक्त बंदोबस्त के समय गणपत व भीखाराम के नाबालिग होने के कारण पर्चा लगान 1/2 हिस्से में जीया पुत्र काछबा तथा 1/2 हिस्से में तेजी बेवा गंगाराम के नाम जारी किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी पर वक्त बंदोबस्त के समय माता तेजी बेवा गंगाराम का ही नाम दर्ज किया गया।

जबकि 1/2 हिस्से में गणपत व भीखाराम भी काबिज काश्त थे। गणपत पुत्र गंगाराम लावल्द बंदोबस्त के बाद फौत हो गया।

- कि प्रकरण में वादी की माता तेजी बेवा गंगाराम के देहांत होने पर प्रतिवादीगण के पूर्वज जीयाराम ने तेजी को निःसंतान फौत बताते हुए विरासत का नामांतरकरण संख्या 78 मौजा नगर स्वयं अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया। इस आधार पर वादीगण को घोषणा का दावा लाने की आवश्यकता पड़ी।
 - कि मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी मौजा नगर में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1-1/4, 02-08, 9/1-9/3, 10-11 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया:-

- कि वादी मूल रूप से गांव नगर का निवासी नहीं है। वादी के पिता बंदोबस्त से पूर्व ग्राम छोटू में जाकर घरजंवाई के रूप में जाकर वहीं स्थाई रूप से निवास करने लगे थे। इस प्रकार वादीगण की गांव छोटू में रहवासी ढाणी भी बनी हुई है। वादी का परिवार बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार प्रतिवादी का परिवार बिल्कुल अलग है। वादी व प्रतिवादी का पारिवारिक कोई संबंध नहीं है। वादी के पूर्वज गंगाराम व प्रतिवादी के पूर्वज काछबाराम का आपस में कोई संबंध में नहीं है। असल में प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-



- कि वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी पर वादी की माता तेजी व वादी के पिता गंगाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था। वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त कार्मिकों ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज जीया पुत्र काछबा के साथ तीजो पत्नी गंगा का भी नाम दर्ज कर दिया। जबकि तीजो/तेजी गांव छोटू में ही स्थाई रूप से निवास करती थी। इस प्रकार वादी द्वारा

मुतनाजा आराजी पर कभी कोई काश्त नहीं की गई। ना ही आज ही कब्जा काश्त है।

- कि सर्वप्रथम तेजी बेवा गंगा का नाम बंदोबस्त के समय सहवन से दर्ज किया गया। जबकि तेजी बेवा गंगा का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। फिर भी वादी की माता तीजो/तेजी की मृत्यु के समय वादी की उम्र करीब 20 वर्ष थी। इस प्रकार वादी की माता तेजी की मृत्यु के पश्चात् विरासत में अधिकार वादी व गणपत पर निहित हो गये। तत्पश्चात् भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत ने सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के पक्ष में पंजीबद्ध बयनामा के द्वारा बेचान कर दी।
- कि वक्त बंदोबस्त के समय तेजी बेवा गंगाराम का नाम जमाबंदी में सहवन से दर्ज किया गया। हालांकि तेजी बेवा गंगा का खुद का, गंगाराम का या वारिसों का किसी भी प्रकार का वक्त बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय व आदिनांक तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण को तेजी बेवा गंगा के राजस्व इन्द्राज की जानकारी होने पर वारिसान वादी व गणपत से मुतनाजा आराजी केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया। इस पर वादीगण द्वारा रूपयों की मांग की गई। तत्पश्चात् वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी घोषित की जावे।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय तथा आदिनांक तक करीब 100 वर्ष से होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-53 (i)(iv) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत वादी के अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 01-11 में समाहित हो गये हैं। अतः मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01-11 की खातेदारी घोषित की जावे।
- कि उक्त मुतनाजा आराजी के संबंध में वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित होने व वर्तमान में प्रभाव में होने के कारण हस्तगत दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार से वर्जित है।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय तथा आदिनांक तक करीब 100 वर्ष से होने के आधार पर वादी द्वारा अपने दावे में कब्जा काश्त करने के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस प्रकार बिना कब्जे के घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण हस्तगत दावा काबिल-ए-खारिज है।

3. प्रकरण में वादी द्वारा जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया:-

- कि वक्त बंदोबस्त के समय तेजी बेवा गंगा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। तेजी बेवा गंगा के देहांत के पश्चात् विरासत का नामांतरकरण गलत प्रकार से दर्ज किये जाने से वादी के खातेदारी अधिकार निहित हैं।

- कि वादी की माता तेजी बेवा गंगा की फौत के समय वादी व गणपत के नाबालिग होने तथा जमाबंदी में माता का ही नाम दर्ज होने के कारण वादी व गणपत द्वारा किया गया पंजीबद्ध बयनामा आरम्भ से ही शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। अतः वादी का दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य है।
- कि वादी का वक्त बंदोबस्त के समय से ही मुतनाजा आराजी पर कब्जा है। इस प्रकार विपरीत कब्जे का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादी का दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य है।

4. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये:-

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 303, 376 व 302 वाके ग्राम नगर पर वादी 1/2 हिस्सेखातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....वादी
2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरुद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....वादी
3. आया प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी पर वादी द्वारा दिनांक 06.09.1963 को प्रतिवादीगण के पक्ष में किए गये बेचाननामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....प्रतिवादीगण
4. आया प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी पर भू-बंदोबस्त द्वारा वादी की माता का नाम गलत इन्द्राज किए जाने तथा प्रतिवादीगण के उक्त आराजी पर भू-बंदोबस्त के समय से काबिज काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....प्रतिवादीगण
5. आया प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी पर भू-बंदोबस्त द्वारा वादी की माता का नाम गलत इन्द्राज किए जाने तथा प्रतिवादीगण के उक्त आराजी पर भू-बंदोबस्त के समय से शांतिपूर्वक काबिज काश्त होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत वादी के खातेदारी अधिकारी समाप्त होने के पश्चात खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।
.....प्रतिवादीगण
6. आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में बयनामा किए जाने तथा बयनामों के वर्तमान में प्रभाव में रहने तथा हाजा न्यायालय को बयनामा को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने के आधार पर दावा काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादीगण
7. आया वादी द्वारा दावे में कब्जा प्राप्त करने की इस्तदुआ नहीं मांगने तथा उक्त आराजी पर वादी का कब्जा नहीं होने के कारण बिना कब्जे की इस्तदुआ मांगे घोषणा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के आधार पर दावा काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादीगण
8. अन्य दादरसी
..... उभय-पक्षकारान

5. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए-

संवत्/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी सम्वंत 2065-2068 मौजा नगर खाता संख्या 94	प्रदर्श-पी01
नक्शा	प्रदर्श-पी02
नामांतरकरण संख्या 78 की प्रति	प्रदर्श-पी03
खतौनी बंदोबस्त	प्रदर्श-पी04

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भीखाराम पुत्र गंगाराम	विश्वोई	छोटू	पी0डब्ल्यू-1
पेमाराम पुत्र सुरताराम	विश्वोई	गोरामाणियों की ढाणी	पी0डब्ल्यू-2
ताजाराम पुत्र नगाराम	राव	छोटू	पी0डब्ल्यू-3
भागीरथराम पुत्र भीखाराम	विश्वोई	छोटू	पी0डब्ल्यू-4

7. प्रकरण में भीखाराम पुत्र गंगाराम पी0डब्ल्यू-01, पेमाराम पुत्र सुरताराम पी0डब्ल्यू-02, तजाराम पुत्र नगाराम पी0डब्ल्यू-3, भागीरथराम पुत्र भीखाराम पी0डब्ल्यू-4 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये-

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकबा 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि इस प्रकार आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकबा 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर आराजी पर 1/2 हिस्से पर वादी के पिता गंगाराम के वारिसों का एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण के पिता जीयाराम के वारिसों का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
- कि वादी के पिता स्व0 गंगाराम का विवाह गांव छोटू में स्व0 रामूराम की पुत्री तेजी से हुआ। तेजी का देहांत सम्वंत 2018 में हो गया। वक्त बंदोबस्त के समय वादी के पिता गंगाराम के देहांत होने के कारण वादी की माता एवं गंगाराम के दोनों पुत्र गणपत व भीखाराम मौके पर काबिज काश्त थे। वक्त बंदोबस्त के समय गणपत व भीखाराम के नाबालिग होने के कारण पर्चा लगान 1/2 हिस्से में जीया पुत्र काछबा तथा 1/2 हिस्से में तेजी बेवा गंगाराम के नाम जारी किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी पर वक्त बंदोबस्त के समय माता तेजी बेवा गंगाराम का ही नाम दर्ज किया गया। जबकि 1/2 हिस्से में गणपत व भीखाराम भी काबिज काश्त थे। गणपत पुत्र गंगाराम लावल्द बंदोबस्त के बाद फौत हो गया।
- कि प्रकरण में वादी की माता तेजी बेवा गंगाराम के देहांत होने पर प्रतिवादीगण के पूर्वज जीयाराम ने तेजी को निःसंतान फौत बताते हुए विरासत का नामांतरकरण संख्या 78 मौजा नगर स्वयं अपने अकेले के नाम

दर्ज करवा लिया। इस आधार पर वादीगण को घोषणा का दावा लाने की आवश्यकता पड़ी।

- कि मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी मौजा नगर में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा-05 में अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

8. प्रकरण में भीखाराम पुत्र गंगाराम पी0डब्ल्यू-01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि मेरी ढाणी छोटु में है। मेरी माता का नाम तेजी देवी है। हम दो भाई थे। यह कहना सही है कि तेजी देवी के हम दोनों भाईयों के सिवा अन्य कोई वारिसान नहीं था। मेरे भाई का नाम गणपत था। गणपत शादीशुदा नहीं था। यह कहना सही है कि गणपत के कोई औलाद नहीं थी। गणपत का जो भी जमीन या जायदाद थी उसका मालिक मैं ही था। मेरी माता तेजी की जमीन का मालिक मैं ही था। मेरी उपजाति थालोड है। मेरी छोटु में कोई जमीन नहीं है। छोटु में मेरा जो घर बना है वो किसकी जमीन पर है मुझे मालूम नहीं है। जिस जमीन का दावा किया उस जमीन का खसरा मुझे याद है। दावा किया उस जमीन के तीन खसरें है। जमीन का दावा किया उसके खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा में पड़ोसी जाट है जो ईशाराम सारण व कानाराम है। यह कहना सही है कि मैंने वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से काश्त नहीं की है। यह कहना सही है कि रजिस्ट्री को मैं भुल गया था प्रतिवादी ने नामांतरण खुलवाया तब मुझे रजिस्ट्री की जानकारी हुई अजखुदका कहा कि मैं उस समय नाबालिग था। मैंने इस दावे के सिवाय दुसरे कोर्ट में रजिस्ट्री खारिज करने का दावा किया है अजखुदका कहा कि मैंने 12 वर्ष पूर्व दावा पेश किया। यह कहना सही है कि मैंने रजिस्ट्री खारिज करने का दावा किया है। रजिस्ट्री खारिज करने के दावे का फैसला हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है। यह कहना सही है कि यह दावा बंटवारे का किया है वहाँ मेरी जमीन है। यह कहना सही है मेरे और प्रतिवादियों के नाम शुरू से जमीन में नाम था। मेरी माताजी देवी के नाम हुई। ईएक्स-01 में मेरा नाम नहीं है। यह मुझे मालूम नहीं है कि 2012 में प्रतिवादीगण ने अपने नाम से रजिस्ट्री से जमीन अपने नाम कर ली हो अजखुद कहा की मैंने नहीं करवाई। यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन के पूर्व दिशा में जाट है लेकिन थोड़े दूर है। यह कहना सही है जस्ट पूर्व दिशा में पंवार है। यह बात सही है रजिस्ट्री करवाई कई साल हो गए इसलिए मुझे तारीख का पता नहीं है।

9. प्रकरण में पेमाराम पुत्र सुरताराम पी0डब्ल्यू-02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 65 वर्ष है। मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। मुझे मेरी जन्म तारीख याद नहीं है। मेरे उम्र के 10-12 वर्ष के बाद की समस्त घटनाएं याद हैं। यह बात सही है कि भीखाराम की माता का नाम तेजी था। यह बात सही है कि तेजी के दो लडके थे, भीखाराम और गणपत। यह बात सही है कि गणपत अविवाहित था और उसके कोई संतान नहीं थी। यह बात सही है कि गणपत अविवाहित था उनकी तमाम जायदाद के मालिक भीखाराम थे। गणपत तेजी से पहले फोट हुआ था। यह

बात सही है कि तेजी के दो लडके थे भीखराम व गणपत थे, तेजी से पहले गणपत फोट हो गए इसलिए तेजी की चल और अचल संपत्ति में मालिकाना हक भीखाराम का था। भीखाराम के छोटू में 4 बीघा या 3 बीघा जमीन है। भीखाराम छोटू रहते हैं, अज खुद कहा कि पहले यहां रहते थे। मेरा गांव उदाणियों की ढाणी है। यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी देशांतरी नाडी में आई हुई है। वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है। शपथ पत्र में खसरा नम्बर लिखे है तो वह वकील साहब ने फाईल देखकर लिखे है। शपथ पत्र वकील साहब ने तैयार करवाया है। मुझे जहां कहा वहां मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यह बात सही है कि मेरी उम्र के 10-12 साल से पहले की घटना कोई रजिस्ट्री वगैरह हुई हो तो मुझे पता नहीं। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी थालोडो के चार पांच घर हैं। यह बात गलत है कि मुझे याद आने के बाद प्रतिवादीगण खडते हों अज खुद कहा कि आधा में भीखाराम व आधा में प्रतिवादी खडते हो। यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री प्रतिवादियों को करवाई हुई है परन्तु भीखा अपना हक मांगता है।

10. प्रकरण में ताजाराम पुत्र नगाराम पी0डब्ल्यू-3 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 63 वर्ष है। मेरे और भीखाराम के आपस में 2 किमी. की दूरी है। भीखाराम की छोटू में कितनी जमीन है मुझे पता नहीं अज खुद कहा कि भीखाराम छोटू में जमीन मोल लेकर बैठे हैं। भीखाराम मुझसे बडे हैं। करीबन 75-80 साल के। मैं भीखाराम को जन्म से जानता हूं। यह कहना गलत है कि भीखाराम 10-12 साल से छोटू में रह रहा हो अज खुद कहा कि पहले नगर में रहते थे। भीखाराम की माता तीजा को मेरे देखी हुई है। यह बात सही है कि तीजों के मरने के बाद तीजों की चल व अचल संपत्ति के मालिक भीखाराम ही है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. मुझे याद नहीं हो। अजखुद कहा कि तीन खसरे है। वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 302, 376, 303 है। ये कहना सही है कि भीखाराम ने वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री करवाई तब मैं साथ में नहीं था। यह कहना गलत है कि मैंने सुना हो कि भीखाराम ने रजिस्ट्री करवाई हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी की भीखाराम ने रजिस्ट्री करवाई हो या नहीं करवाई हो मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि भीखाराम लगभग 12-13 वर्ष से काश्त नहीं करते है अजखुद कहा कि पहले मैं भी उनके साथ काश्त करता था।

11. प्रकरण में भागीरथराम पुत्र भीखाराम पी0डब्ल्यू-4 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 63 वर्ष है। मेरे और भीखाराम के आपस में 2 किमी. की दूरी है। भीखाराम की छोटू में कितनी जमीन है मुझे पता नहीं अज खुद कहा कि भीखाराम छोटू में जमीन मोल लेकर बैठे हैं। भीखाराम मुझसे बडे हैं। करीबन 75-80 साल के। मैं भीखाराम को जन्म से जानता हूं। यह कहना गलत है कि भीखाराम 10-12 साल से छोटू में रह रहा हो अज खुद कहा कि पहले नगर में रहते थे। भीखाराम की माता तीजा को मेरे देखी हुई है। यह बात सही है कि तीजों के मरने के बाद तीजों की चल व अचल संपत्ति के मालिक भीखाराम ही है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. मुझे याद नहीं हो। अजखुद कहा कि तीन खसरे है। वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 302, 376, 303 है। ये कहना सही है कि भीखाराम ने वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री करवाई तब मैं साथ में नहीं था। यह कहना गलत है कि मैंने सुना हो कि भीखाराम ने रजिस्ट्री करवाई हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी की भीखाराम ने रजिस्ट्री करवाई हो या नहीं करवाई

हो मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि भीखाराम लगभग 12-13 वर्ष से काश्त नहीं करते है अजखुद कहा कि पहले मै भी उनके साथ काश्त करता था।

12. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए।

संवत् / विवरण	प्रदर्श
पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963	प्रदर्श-डी01
प्रतिवादी हीराराम द्वारा बैचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण खोलने हेतु उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी02
प्रतिवादी हीराराम द्वारा बैचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण खोलने हेतु उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2012 की प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी02ए
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा भीखाराम के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में किये गये बैचान दस्तावेज के अनुसार नामांतरकरण पारित किये जाने के आदेश दिनांक 25.07.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी03
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा भीखाराम के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में किये गये बैचान दस्तावेज के अनुसार नामांतरकरण पारित किये जाने के आदेश दिनांक 25.07.2012 की प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी03ए
मौका फर्द दिनांक 23.07.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी04
मौका फर्द दिनांक 23.07.2012 की प्रतिलिपि	प्रदर्श-डी04ए
जमाबंदी संवत् 2073-76 मौजा जम्भेश्वर नगर खाता संख्या 13	प्रदर्श-डी05
नक्शा खसरा संख्या 303/1 मौजा जम्भेश्वर नगर	प्रदर्श-डी06
नक्शा खसरा संख्या 376/2 मौजा जम्भेश्वर नगर	प्रदर्श-डी07
जमाबंदी संवत् 2073-76 मौजा जम्भेश्वर नगर खाता संख्या 12	प्रदर्श-डी08
नक्शा खसरा संख्या 302 मौजा जम्भेश्वर नगर	प्रदर्श-डी09

13. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भैराराम पुत्र अरजनराम	विश्वनोई	जम्भेश्वर नगर	डी0डब्ल्यू-1
भागीरथराम पुत्र तुलसाराम	विश्वनोई	जम्भेश्वर नगर	डी0डब्ल्यू-2
रामचन्द्र पुत्र भारूराम	विश्वनोई	देशांतरी नाडी	डी0डब्ल्यू-3
रुगनाथराम पुत्र मोबताराम	विश्वनोई	देशांतरी नाडी	डी0डब्ल्यू-4
वासुदेव पुत्र छोगाराम	विश्वनोई	जम्भेश्वर नगर	डी0डब्ल्यू-5

14. प्रकरण में भैराराम पुत्र अरजनराम डी0डब्ल्यू-1, भागीरथराम पुत्र तुलसाराम डी0डब्ल्यू-2, रामचन्द्र पुत्र भारूराम डी0डब्ल्यू-3, रुगनाथराम पुत्र मोबताराम डी0डब्ल्यू-4 एवं वासुदेव पुत्र छोगाराम डी0डब्ल्यू-5 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये-

- कि वादी मूल रूप से गांव नगर का निवासी नहीं है। वादी के पिता बंदोबस्त से पूर्व ग्राम छोटू में जाकर घरजंवाई के रूप में जाकर वहीं स्थाई रूप से निवास करने लगे थे। इस प्रकार वादीगण की गांव छोटू में रहवासी ढाणी भी बनी हुई है।
- कि वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी पर वादी की माता तेजी व वादी के पिता गंगाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था। वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त कार्मिकों ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज जीया पुत्र काछबा के साथ तीजो पत्नी गंगा का भी नाम दर्ज कर दिया। जबकि तीजो/तेजी गांव छोटू में ही स्थाई रूप से निवास करती थी। इस प्रकार वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर कभी कोई काश्त नहीं की गई। ना ही आज ही कब्जा काश्त है।
- कि सर्वप्रथम तेजी बेवा गंगा का नाम बंदोबस्त के समय सहवन से दर्ज किया गया। जबकि तेजी बेवा गंगा का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। फिर भी वादी की माता तीजो/तेजी की मृत्यु के समय वादी की उम्र करीब 20 वर्ष थी। इस प्रकार वादी की माता तेजी की मृत्यु के पश्चात् विरासत में अधिकार वादी व गणपत पर निहित हो गये। तत्पश्चात् भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत ने सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के पक्ष में पंजीबद्ध बयनामा के द्वारा बेचान कर दी।
- कि वक्त बंदोबस्त के समय तेजी बेवा गंगाराम का नाम जमाबंदी में सहवन से दर्ज किया गया। हालांकि तेजी बेवा गंगा का खुद का, गंगाराम का या वारिसों का किसी भी प्रकार का वक्त बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय व आदिनांक तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण को तेजी बेवा गंगा के राजस्व इन्द्राज की जानकारी होने पर वारिसान वादी व गणपत से मुतनाजा आराजी केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया। इस पर वादीगण द्वारा रूपयों की मांग की गई। तत्पश्चात् वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी घोषित की जावे।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय तथा आदिनांक तक करीब 100 वर्ष से होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-53 (i)(iv) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत वादी के अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 01-11 में समाहित हो गये हैं। अतः मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01-11 की खातेदारी घोषित की जावे।
- कि उक्त मुतनाजा आराजी के संबंध में वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित होने व वर्तमान में प्रभाव में होने के कारण हस्तगत दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार से वर्जित है।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बंदोबस्त से पूर्व, बंदोबस्त के समय तथा आदिनांक तक करीब 100 वर्ष से होने के आधार पर वादी

द्वारा अपने दावे में कब्जा काश्त करने के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस प्रकार बिना कब्जे के घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण हस्तगत दावा काबिल-ए-खारिज है।

- कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे के पक्ष में पैरा संख्या 12 में अंकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं।

15. प्रकरण में भैराराम पुत्र अरजनराम डी0डब्ल्यू-1 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 35 वर्ष है। हमारे पिताजी फौत हो गए। हमारे पिताजी लगभग 1996 में फौत हुए। यह कहना गलत है कि देहांत हुआ तब मेरी उम्र 6 वर्ष हो। अज खुद कहा कि उस समय मेरी उम्र 15-16 वर्ष थी। सेटलमेंट किस वर्ष में हुआ मुझे ध्यान नहीं है। सेटलमेंट मैंने बुजुर्गों से सुना है कि सम्वंत 2009 में जमीन नपी थी। यह कहना गलत है कि उक्त सेटलमेंट संबंधी बात मैंने मेरे पिताजी से नहीं सुनी हुई हो। मुझे सेटलमेंट के बारे में बताने वाले ने मुझे यह नहीं बताया कि सेटलमेंट में क्या प्रक्रिया थी। क्योंकि इस बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न:-यह कहना सही है कि मेरी उम्र मेरे बताए अनुसार व सेटलमेंट के मध्य 35 वर्ष पूर्व हुआ था। उत्तर-मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 02 के तथ्य नहीं लिखाए हों। यह कहना सही है कि भीखाराम के पिता का नाम गंगाराम है। यह कहना सही है कि गंगाराम का घरजवाई होने का कथन मैंने सुने-सुनाए होने से लिखाया है। यह कहना सही है कि तीजा के फौत होने के समय भीखा 20 वर्ष का हो यह बात मैंने सुनी-सुनाई होने से लिखाई है। यह कहना सही है कि मैंने मेरे जवाब दावा के साथ भीखा की उम्र संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किये और न ही गणपत की उम्र संबंधी दस्तावेज पेश किये हैं। अजखुद कहा कि पहले ऐसे दस्तावेज होते ही नहीं थे। यह कहना सही है कि इएक्सडी-1 दस्तावेज के निष्पादन के वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरे पड़दादा का नाम काछबा है। यह कहना सही है कि काछबा के परिवार में इसके अलावा और कहीं पर भी जमीन नहीं है। अजखुद कहा कि मारवाड़ में काछबा की जमीन थी। प्रश्न-इएक्सडी-1 के निष्पादन के समय वादी भीखाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने के संबंध में कोई दस्तावेज जवाबदावा के साथ पेश किये? उत्तर-मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि मैं पढा-लिखा हूँ। यह कहना सही है कि मैंने जवाबदावा के साथ प्रथम जमाबंदी पेश नहीं की। यह कहना सही है कि उक्त रजिस्ट्री से संबंधित कोई नामांतरकरण पेश नहीं किया है। अजखुद कहा कि हमने तो रजिस्ट्री पेश की है। यह कहना सही है कि इएक्सडी-1 की पालना में प्रार्थना पत्र 49 वर्ष बाद में नामांतरकरण वास्ते पेश किया। उक्त रजिस्ट्री की पालना में 49 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण यह है कि वादी द्वारा दावा 2012 में पेश किया। यह कहना सही है कि भीखा के नाम एकतरफा डिक्री जारी होने पर नामांतरकरण खोला तब हमें रजिस्ट्री को उजागर किया। यह कहना गलत है कि भीखा के पक्ष में खोला गया नामांतरकरण खारिज कर दिये हों। दावे के प्रकरण संख्या मुझे याद नहीं है पर भीखा बनाम हीरा फाईल का नाम मुझे याद है। यह कहना गलत है कि डी.डब्ल्यू-1 पर अंकित नम्बर वकील साहब की कलम हो। यह कहना सही है कि मेरे कहने पर उक्त शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा है। वकील साहब ने उक्त शपथ पत्र कितने पेज का लिखा है मुझे याद नहीं है पर पेज हमने जो बोले हैं वही लिखे हैं। शपथ पत्र में लिखे धारा-209 में क्या प्रावधान हैं मुझे पता नहीं है। उक्त धारा वकील साहब ने लिखी है। यह कहना सही है कि गंगाराम का देहांत सेटलमेंट से पूर्व हो गया था। यह कहना गलत है कि सेटलमेंट के समय

1/2 हिस्सा जीया का व 1/2 हिस्सा तेजूदेवी के नाम से इन्द्राज किया गया हो। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन में 1/2 हिस्सा जीया का 1/2 हिस्सा वादी का है लेकिन वर्तमान में जमीनों की कीमत बढ़ने से वादी को हिस्सा नहीं देने के कारण आज कोर्ट में झूठे बयान दे रहा हूँ हो।

16. प्रकरण में भागीरथराम पुत्र तुलसाराम डी0डब्ल्यू-2 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 55 वर्ष है। मेरा किस वर्ष में जन्म हुआ मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि मैं स्कुल नहीं गया हूँ। यह कहना सही है कि मुझे हिन्दी बोलनी नहीं आती है। शपथ पत्र मैं हिन्दी में बोला और वकील साहब ने लिखा। यह कहना गलत है कि मैं किसी प्रकार की दवा लेता हों। पहले की बात मुझे याद नहीं रहती है। मैंने 5 पेज का शपथ पत्र के लिखवाए हैं। यह कहना सही है कि इसमें कितने पैरा लिखवाए हैं। मुझे याद नहीं है। मुझे सेटलमेंट शब्द की जानकारी है कि पहले जमीन अपनी नहीं थी। बाद में अपने नामे हुई। पहले जमीन राणा के नाम थी। उसके बाद में जो काश्त करते थे। उनके नामे हुई। यह कहना सही है कि शपथ पत्र के पद संख्या 10 में धारा से संबंधी बात वकील साहब ने लिखवाई। शपथ पत्र में पक्षकारों की संख्या हमारी ही है। क्षेत्राधिकार का मतलब अड़ौसी-पड़ौसी है। सेटलमेंट के वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ था। सेटलमेंट के समय जमीन नगर रावलसा ने साथ में रहकर जमीन नपवाई। मुझे मेरे खेत के खसरा संख्या याद हैं। 302 हैं। गंगाराम और दो भाई थे। भीखा व गणेश दो भाई थे। गणेश कम उम्र में फौत हो गया तो पता नहीं। गणेश अविवाहित फौत हुआ तो मुझे पता नहीं। यह बात सही है कि जब रजिस्ट्री करवाई तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। रजिस्ट्री कौन करवाने गया मुझे पता नहीं है। अजखुद कहा कि मुझे थोड़ा-थोड़ा पता है। थोड़ा-थोड़ा पता मुझे सुनी-सुनाई बात से है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्री के समय भीखा व गणपत का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हों। यह कहना सही है कि तीजा फौतगी का नामांतरकरण मेरे दादा जीयाराम ने भरवाया। अजखुद कहा कि नगर रावलसा ने भरा था। नगर रावलसा व जीयारा के दोस्ती हो तो मुझे पता नहीं। जीयाराम के चार बेटे थे। जिसमें से 03 बेटों का स्वर्गवास हो गया 1 बैठा है। गंगाराम के दो बेटों में से एक बैठा है और एक फौत हो गया हो तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि हमारे आना-जाना नहीं है। यह कहना गलत है कि हमारे आना-जाना इस जमीन के कारण टूटा हो। अजखुद कहा कि पहले से ही आना-जाना नहीं है। गंगाराम किसका बेटा था मुझे पता नहीं। रजिस्ट्री में गंगाराम के पिता का नाम हरसिंगाणी लिखा है तो मुझे पता नहीं है। हीरा को मैं जानता हूँ। मेरा काका है। यह कहना सही है कि मेरे काका हीरा ने रजिस्ट्री करवाने के 60 वर्ष बाद नामांतरकरण का आवेदन किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त नामांतरकरण को भीखा ने अपील करके संभागीय आयुक्त द्वारा खारिज करवाया गया हो। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भीखा छोटू वाली जमीन में अपने नाना की हो। यह कहना सही है कि इएक्सडी-1 दस्तावेज भीखा की पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री है। उक्त इएक्सडी-1 दस्तावेज इतने वर्ष तक हीरा के घर में रखा हुआ था। तीजा कब फौत हुई मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का होने के बावजूद जमीन में कीमतों की बढ़ोतरी होने से कोर्ट में झूठे बयान दे रहा हूँ हों। प्रश्न-यह कहना सही है कि राजस्व रिकॉर्ड में भीखा व गणपत का ना नहीं होने के बावजूद नाबालिग होने के बावजूद फर्जी रजिस्ट्री करवाकर इतने सालों तक छुपाकर

रखा। इतने साल बाद उक्त रजिस्ट्री को उजागर किया। उत्तर-हर हाल में गलत है।

17. प्रकरण में रामचन्द्र पुत्र भारूराम डी0डब्ल्यू-3 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उपजाति मांजु है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण मेरे रिश्तेदार हों। अजखुद कहा कि पड़ौसी हैं। यह कहना सही है कि मेरा खेत व वादी के खेत के मध्य एक खेत दूसरा पड़ता है। बीच वाला खेत वीरा गोदारा का है व एक तरफ पूनिया का खेत है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। मेरा जन्म 1964-65 का है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमीन की पैमाईश किस वर्ष में हुई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सेटलमेंट किस वर्ष में हुआ। अजखुद कहा कि सन् 1975 के बाद मुझे हर घटना याद है। यह कहना सही है कि 1975 के पहले की मुझे कोई घटना याद नहीं है। अजखुद कहा कि तारीख याद नहीं है। गंगा कब फौत हुआ मुझे याद नहीं। तीजा कब फौत हुई मुझे याद नहीं है। हरीगा और काछबा आपस में क्या लगते थे मुझे पता नहीं। मैं तो जीया के परिवार को जानता हूं। आज मैं मेरी मोटरसाइकिल से कोर्ट आया हूं। भागीरथ व रूघनाथ किसमें आए मुझे पता नहीं। भागीरथ व रूघनाथ ने मुझे आज कोर्ट में आने को कहा। इस फाइल के लिये एक दिन पहले मैं कोर्ट में आया था। उस दिन बयान नहीं हुए। यह कहना गलत है कि मैंने पूर्व में लिखि में बयान नहीं दिये हों। मैंने डालुरामजी के यहां लगभग 1 पेज लिखवाया था। यह कहना गलत है कि बाकी पेज वकील साहब ने अपनी तरफ से लिखे हों। यह कहना गलत है कि हमारे और भीखाराम के बीच बोलचाल हुई हो। यह कहना गलत है कि मैं और भीखाराम आपस में कणे के लिये लड़े हों। यह कहना गलत है कि आज से 12 वर्ष पूर्व मैं और प्रतिवादीगण डांग लेकर भीखाराम को ठोकने गए हों। यह कहना सही है कि मुझे मेरे खेत के सभी खसरे सही तरह से याद नहीं है। मुझे वादग्रस्त जमीन के भी खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में खसरा संख्या व हिस्से वकील साहब ने लिखवाए हैं। अजखुद कहा कि हम तो धणी को जानते हैं। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में कोई कानूनी धारा लगी है तो वकील साहब ने लिखी है। यह कहना सही है कि मैंने रजिस्ट्री नहीं देखी है। मैंने तो खड़ते देखा है। यह कहना गलत है कि आधी जमीन वादी की हो और आधी प्रतिवादीगण की हो और आज मैं प्रतिवादीगण के कहने से झूठे बयान दे रहा हूं हों।
18. प्रकरण में रूगनाथराम पुत्र मोबताराम डी0डब्ल्यू-4 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि मैं 42 वर्ष का हूं। यह कहना सही है कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूं। मैं आठवीं तक पढा हूं। यह कहना सही है कि मुझे मेरे खेत के खसरा संख्या याद है। परंतु वादग्रस्त खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे आज से 35 वर्ष पहले की बात मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि उससे पहले की बात मैंने लिखाई है तो वह बात सुनी-सुनाई लिखाई है। सेटलमेंट में क्या प्रक्रिया रहती है। मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि आज मैं कोर्ट में प्रतिवादीगण के साथ आया हूं। यह कहना गलत है कि वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी के नियत में फर्क आने से मैं आज कोर्ट में झूठे बयान दे रहा हूं।
19. प्रकरण में वासुदेव पुत्र छोगाराम डी0डब्ल्यू-5 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि मैं 59 वर्ष का हूं। यह कहना सही है कि मेरे शपथ पत्र

में मेरी उम्र सही लिखी है। यह कहना गलत है कि मैं पंच हूं। यह बात झूठी है कि नजदीक-नजदीक गांवों में पंचायती हेतु मुझे बुलाते हैं। यह कहना सही है कि मुझे मेरे खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। अजखुद कहा कि याद है। मेरे खसरा संख्या 288, 375, 376 हैं। वादग्रस्त आराजी के पड़ोस का खसरा 375, 288 व 376 तीनों अड़ोस-पड़ोस में है। वादी के खेत खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। ये कितने बीघों का है मुझे पता नहीं है। मेरा जन्म सम्वंत 2024 में हुआ। सेटलमेंट कब हुआ मुझे याद नहीं है। गंगाराम के घरजवाई होने के कथन मैंने शपथ पत्र में सुनी-सुनाई लिखाई है। सेटलमेंट की प्रक्रिया की मुझे जानकारी नहीं है। अजखुद कहा कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं सेटलमेंट के बारे में कैसे बता सकता हूं। यह कहना सही है कि गणपत पुत्र गंगाराम अविवाहित फौत हुआ। गणपत पुत्र गंगा कितनी उम्र में फौत हुआ मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन में 1/2 हिस्सा जीया पुत्र काछबा व 1/2 हिस्सा तीजो पत्नी गंगाराम के नाम पैमाईश हुआ। यह कहना सही है कि तीजा की फौतगी के नामांतरकरण में भीखा व गंगा का नाम नहीं आया। यह कहना सही है कि मैं वादग्रस्त जमीन के संबंध में हुई रजिस्ट्री में शामिल नहीं था। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि बैचान किसने किया। अजखुद कहा कि भीखा ने रजिस्ट्री करवाई। उक्त शपथ पत्र में कानूनी धारा व कानूनी भाषा वकील साहब ने लिखी है। यह कहना सही है कि दो बार पंचायती हुई जिसमें भीखा ने हमारी बात नहीं मानी। अजखुद कहा कि मैं पंचायती में साथ नहीं था। रजिस्ट्री करवाई तब जमीन में नाम भीखा का था। अजखुद कहा कि गणपत नाबालिग था। अजखुद कहा कि मैं साथ में नहीं था। यह कहना गलत है कि गलत होने के कारण इतने वर्षों तक छुपाकर रखा। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन में खरीदना चाहता हों और मुझे भीखा लेने नहीं दे रहा तथा भीखा ने पंचायती में मेरी बात नहीं मानी इसलिये नाराज होकर मैं झूठे बयान दे रहा हूं हों। प्रश्न-यह कहना सही है कि वक्त रजिस्ट्रजमीन में न तो भीखा का नाम था और न ही उसके भाई गणपत का नाम था। दोनों नाबालिग थे। बावजूद उनके नाम से रजिस्ट्री फर्जी करवाई। इसलिये इतने सालों तक रजिस्ट्री छुपाकर रखवाई। उत्तर:-यह बात गलत है।

20. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकब 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी घोषित की जावे।

21. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 03 असल में एक ही

विवाद्यक बिंदू है। इस कारण प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 03 का एक साथ विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 व 03 निम्न प्रकार हैं:-

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 303, 376 व 302 वाके ग्राम नगर पर वादी 1/2 हिस्सेखातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी पर वादी द्वारा दिनांक 06.09.1963 को प्रतिवादीगण के पक्ष में किए गये बेचाननामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....प्रतिवादीगण

22. प्रकरण में उक्त तनकी वादी की खातेदारी आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में वादी का दावा का मुख्य आधार है कि वक्त बंदोबस्त के समय गणपत व भीखाराम के नाबालिग होने के कारण पर्चा लगान 1/2 हिस्से में जीया पुत्र काछबा तथा 1/2 हिस्से में तेजी बेवा गंगाराम के नाम जारी किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी पर वक्त बंदोबस्त के समय माता तेजी बेवा गंगाराम का ही नाम दर्ज किया गया। प्रकरण में वादी की माता तेजी बेवा गंगाराम के देहांत होने पर प्रतिवादीगण के पूर्वज जीयाराम ने तेजी को निःसंतान फौत बताते हुए विरासत का नामांतरकरण संख्या 78 मौजा नगर स्वयं अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया। इस आधार पर वर्तमान में तेजी बेवा गंगा के 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें। इस संबंध में प्रदर्श-03 व प्रदर्श-04 खतौनी बंदोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में तेजी बेवा गंगाराम का 1/2 हिस्सा निहित था। जिसे तेजी बेवा गंगाराम के फौतगी नामांतरकरण के द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी तेजी बेवा गंगाराम का विधिक वारिस है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया तेजी बेवा गंगाराम की विरासत प्रतिवादी के पक्ष में फैसल होने की बजाय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Void : Voidable

23. अब प्रकरण में संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने संकल्पना/अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 598/2005 बउनवान **Baljinder Singh vs Rattan Singh** में दिनांक 05.08.2008 को दिये गये निर्णय में शून्य व शून्यकरणीय होने की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

24. *In Sadasivam v. K. Doraisamy (AIR 1996 SC 1724) it was found that when the father has executed sale deed in favour of a near relative and the intention to repay debt or legal necessity has not been proved as a sham transaction.*

25. In *Words and Phrases* by Justice R.P. Sethi the expression 'void' and 'voidable' read as under:

"Void- Black's Law Dictionary gives the meaning of the word "void" as having different nuances in different connotations. One of them is of course "null or having no legal force or binding effect". And the other is "unable in law, to support the purpose for which it was intended". After referring to the nuances between void and voidable the lexicographer pointed out the following: "The word 'void' in its strictest sense, means that which has no force and effect, is without legal efficacy, is incapable of being enforced by law, or has no legal or binding force, but frequently the word is used and construed as having the more liberal meaning of 'voidable'. The word 'void' is used in statute in the sense of utterly void so as to be incapable of ratification, and also in the sense of voidable and resort must be had to the rules of construction in many cases to determine in which sense the legislature intended to use it. An act or contract neither wrong in itself nor against public policy, which has been declared void by statute for the protection or benefit of a certain party, or class of parties, is voidable only". (*Pankan Mehra and Anr. v. State of Maharashtra and Ors.* (2000 (2) SCC 756).

Per Fazal Ali, J- The meaning of the word "void" is stated in Black's Law Dictionary (3rd Edn.) to be as follows:

"Null and void; ineffectual; nugatory; having no legal force or binding effect; unable in law to support the purpose for which it was intended; nugatory and ineffectual so that nothing can cure it; not valid". (*Keshavan Madhava Menon v. State of Bombay* (1951 SCR 228).

The expression "void" has several facets. One type of void acts, transactions, decrees are those which are wholly without jurisdiction, *ab initio* void and for avoiding the same no declaration is necessary, law does not take any notice of the same and it can be disregarded in collateral proceeding or otherwise. *Judicial Review of Administration Action*, 5th Edn., para 5-044 (See also *Judicial Remedies in Public Law* at page 131; *Dhurandhar Prasad Singh v. Jai Prakash University and Ors.* (2001 (6) SCC 534) The other type of void act, e.g. may be transaction against a minor without being represented by a next friend. Such a transaction is a good transaction against the whole world. So far as the minor is concerned, if he decides to avoid the same and succeeds in avoiding it by taking recourse to appropriate preceding the transaction becomes void from the very beginning.

Another type of void act may be one, which is not a nullity, but for avoiding the same, a declaration has to be made. (See Government of Orissa v Ashok Transport Agency and Ors (2002 (9) SCC 28) The meaning to be given to the word "void" in Article 13 of the Constitution is no longer res integra, for the matter stands concluded by the majority decision of the Court in Keshavan Madhava Menon v. The State of Bombay (1951) SCR 228. We have to apply the ratio decidendi in that case to the facts of the present case. The impugned Act was a existing law at the time when the Constitution came into force. That existing law imposed on the exercise of the right guaranteed in the citizens of the India by Article 19(1)(g) restrictions which could not be justified as reasonable under clause (6) as it then stood and consequently under Article 13 (1) that existing Law became void "to the extent of such inconsistency". As explained in Keshavan Madhava Menon's case (supra) the Law became void in toto or for all purposes or for all times or for all persons but only "to the extent of such inconsistency", that is to say, to the extent it became inconsistent with the provisions of Part III which conferred the fundamental rights on the citizens. It did not become void independently of the existence of the rights guaranteed by Part III. (See Bhikaji Narain Dhakras and Ors. v. The State of Madhya Pradesh and Anr. (1955 (2) SCR 589).

The word "void" has a relative rather than an absolute meaning. It only conveys the idea that the order is invalid or illegal. In Halsbury's Laws of England, 4th Edn. (Re-issue) Vol. 1(1) in para 26, p.31 it is stated thus: "If an act of decision, or an order or other instrument is invalid, it should, in principle, be null and void for all purposes; and it has been said that there are no degrees of nullity. Even though such an act is wrong and lacking in jurisdiction, however, it subsists and remains fully effective unless and until it is set aside by a court of competent jurisdiction. Until its validity is challenged, its legality is preserved". (See State of Kerala v.

M.K. Kunhikannan Nambiar Manjeri Manikoth, Naduvil (dead) and ors. (1996 (1) SCC 435).

"Voidable act" is that which is a good act unless avoided, e.g. if a suit is filed for a declaration that a document is fraudulent, it is voidable as the apparent state of affairs is the real state of affairs and a party who alleges otherwise is oblige to prove it. If it is proved that the document is forged and fabricated and a declaration to that effect is given, a transaction becomes void from the very beginning. There may be voidable transaction which is required to be set aside and the same is avoided from the day it is so set aside and not any day prior to it. In cases,

where legal effect of a document cannot be taken away without setting aside the same, it cannot be treated to be void but would be obviously voidable. Government of Orissa v. Ashok Transport Agency and Ors. (2002 (9) SCC 28)".

24. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4481 / 2001 बउनवान **Dhurandhar Prasad Singh vs Jai Prakash University** में दिनांक 24.07. 2001 को दिये गये निर्णय में शून्य व शून्यकरणीय होने की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

The expressions void and voidable have been subject matter of consideration before English Courts times without number. In the case of Durayappah v. Fernando and others [1967] 2 All England Law Reports 152, the dissolution of municipal council by the minister was challenged. Question had arisen before the Privy Council as to whether a third party could challenge such a decision. It was held that if the decision was complete nullity, it could be challenged by anyone, anywhere. The Court observed at page 158 thus:-

The answer must depend essentially on whether the order of the Minister was a complete nullity or whether it was an order voidable only at the election of the council. If the former, it must follow that the council is still in office and that, if any councillor, ratepayer or other person having a legitimate interest in the conduct of the council likes to take the point, they are entitled to ask the court to declare that the council is still the duly elected council with all the powers and duties conferred on it by the Municipal Ordinance.

In the case of In re McC. (A minor) [1985] 1 Appeal Cases 528, the House of Lords followed the dictum of Lord Coke in the Marshalsea Case quoting a passage from the said judgment which was rendered in 1613 where it was laid down that where the whole proceeding is coram non judice which means void ab initio, the action will lie without any regard to the precept or process. The Court laid down at page 536 thus:-

Consider two extremes of a very wide spectrum. Jurisdiction meant one thing to Lord Coke in 1613 when he said in the Marshalsea Case (1613) 10 Co. Rep.68b, at p.76a:

when a court has jurisdiction of the cause, and, proceeds in verso ordine or erroneously, there the party who sues, or the officer or minister of the court who executes the precept or process of the court, no action lies against them. But when the court has not jurisdiction of the cause, there the whole proceeding is coram non judice, and actions will lie against them without any regard of the precept or process.

The Court of the Marshalsea in that case acted without jurisdiction because, its jurisdiction being limited to members of the Kings household, it entertained a suit

between two citizens neither of whom was a member of the Kings household. Arising out of those proceedings a party arrested by process of the Marshalsea could maintain an action for false imprisonment against, inter alios, the Marshal who directed the execution of the process. This is but an early and perhaps the most quoted example of the application of a principle illustrated by many later cases where the question whether a court or other tribunal of limited jurisdiction has acted without jurisdiction (coram non iudice) can be determined by considering whether at the outset of the proceedings that court had jurisdiction to entertain the proceedings at all. So much is implicit in the Lord Cokes phrase jurisdiction of the cause.

In another decision, in the case of Director of Public Prosecutions v. Head [1959] Appeal Cases 83, House of Lords was considering validity of an order passed by Secretary of the State in appeal preferred against judgment of acquittal passed in a criminal case. The Court of Criminal Appeal quashed the conviction on the ground that the aforesaid order of Secretary was null and void and while upholding the decision of the Court of Criminal Appeal, the House of Lords observed at page 111 thus:-

This contention seems to me to raise the whole question of void or voidable: for if the original order was void, it would in law be a nullity. There would be no need for an order to quash it. It would be automatically null and void without more ado. The continuation orders would be nullities too, because you cannot continue a nullity. The licence to Miss Henderson would be a nullity. So would all the dealings with her property under Section 64 of the Act of 1913. None of the orders would be admissible in evidence. The Secretary of State would, I fancy, be liable in damages for all of the 10 years during which she was unlawfully detained, since it could all be said to flow from his negligent act; see section 16 of the Mental Treatment Act, 1930.

But if the original order was only voidable, then it would not be automatically void. Something would have to be done to avoid it. There would have to be an application to the High Court for certiorari to quash it.

This question was examined by Court of Appeal in the case of R. v. Paddington Valuation Officer and another, Ex parte Peachey Property Corporation, Ltd. [1965] 2 All England Law Reports 836 where the valuation list was challenged on the ground that the same was void altogether. On these facts, Lord Denning, M.R. laid down the law observing at page 841 thus:-

It is necessary to distinguish between two kinds of invalidity. The one kind is where the invalidity is so grave that the list is a nullity altogether. In which case there is no need for an order to quash it. It is automatically null and void without more ado. The other kind is when the invalidity does not make the list void altogether, but only

voidable. In that case it stands unless and until it is set aside. In the present case the valuation list is not, and never has been, a nullity. At most the first respondent-acting within his jurisdiction-exercised that jurisdiction erroneously. That makes the list voidable and not void. It remains good until it is set aside.

De Smith, Woolf and Jowell in their treatise Judicial Review of Administrative Action, Fifth Edition, paragraph 5-044, has summarised the concept of void and voidable as follows: Behind the simple dichotomy of void and voidable acts (invalid and valid until declared to be invalid) lurk terminological and conceptual problems of excruciating complexity. The problems arose from the premise that if an act, order or decision is ultra vires in the sense of outside jurisdiction, it was said to be invalid, or null and void. If it is intra vires it was, of course, valid. If it is flawed by an error perpetrated within the area of authority or jurisdiction, it was usually said to be voidable; that is, valid till set aside on appeal or in the past quashed by certiorari for error of law on the face of the record. Clive Lewis in his works Judicial Remedies in Public Law at page 131 has explained the expressions void and voidable as follows:-

A challenge to the validity of an act may be by direct action or by way of collateral or indirect challenge. A direct action is one where the principal purpose of the action is to establish the invalidity. This will usually be by way of an application for judicial review or by use of any statutory mechanism for appeal or review. Collateral challenges arise when the invalidity is raised in the course of some other proceedings, the purpose of which is not to establish invalidity but where questions of validity become relevant.

Thus the expressions void and voidable have been subject matter of consideration on innumerable occasions by courts. The expression void has several facets. One type of void acts, transactions, decrees are those which are wholly without jurisdiction, ab initio void and for avoiding the same no declaration is necessary, law does not take any notice of the same and it can be disregarded in collateral proceeding or otherwise. The other type of void act, e.g., may be transaction against a minor without being represented by a next friend. Such a transaction is good transaction against the whole world. So far the minor is concerned, if he decides to avoid the same and succeeds in avoiding it by taking recourse to appropriate proceeding the transaction becomes void from the very beginning. Another type of void act may be which is not a nullity but for avoiding the same a declaration has to be made. Voidable act is that which is a good act unless avoided, e.g., if a suit is filed for a declaration that a document is fraudulent and/or forged and fabricated, it is voidable as apparent state of affairs is real state of affairs

and a party who alleges otherwise is obliged to prove it. If it is proved that the document is forged and fabricated and a declaration to that effect is given a transaction becomes void from the very beginning. There may be a voidable transaction which is required to be set aside and the same is avoided from the day it is so set aside and not any day prior to it. In cases, where legal effect of a document cannot be taken away without setting aside the same, it cannot be treated to be void but would be obviously voidable.

25. प्रकरण में शून्य व शून्यकरणीय होने की संकल्पना/अवधारणा की अवधारणा को समझने के पश्चात पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने के आधार पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विवाद के संबंध में कानूनन स्थिति की स्पष्टता को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल प्रथम अपील संख्या 330/2010 बउनवान **Ram Kripal Dasji Charitable Trust vs Phool Chand** में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने के आधार पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विवाद के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

11. (.....)

(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.

xxx

In my view unless a clear finding to that effect is given, the relief claimed by the appellant cannot be granted. Under the provisions of Rajasthan Tenancy Act, declaration and permanent injunction regarding an agricultural land can be granted only by a revenue court. It cannot be disputed that a suit for declaration of tenancy rights regarding an agricultural land has to be filed under Section 88 whereas a suit for permanent injunction has to be filed under Section 188 of the Rajasthan Tenancy Act. Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act provides that all suits of the nature specified in the III Schedule of the Act shall be heard and determined by a revenue court and no court other than a revenue court shall take cognizance of any

such suit. A suit for declaration finds place in Item No.5 whereas suit for permanent injunction finds place in Item No.23 C of the III Schedule. It is thus, very much clear that the present suit was clearly barred by law as Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act bars such a suit from being taken cognizance and considered by a court other than a revenue court. The learned trial Court has rightly arrived at a conclusion that the suit is not entertainable by a civil Court.

26. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 137 / 2015 बउनवान **Hasti Cement Pvt. Ltd. & Anr vs Sandeep Charan** में दिनांक 07.03.2018 को दिये गये निर्णय में पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने के आधार पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विवाद के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

From what has been noticed hereinbefore, it can be safely concluded that if the allegation in the plaint/substance of the allegations in the plaint allege the instrument to be void and no cancellation is required and without seeking such cancellation the relief of declaration pertaining to tenancy rights with regard to the agricultural land in question can be obtained by the plaintiff, only the revenue courts would have jurisdiction to deal with the subject matter of the suit and consequently the jurisdiction of civil courts would be barred. However, if the allegations made in the plaint make out a case of document being voidable, relief of cancellation of such a voidable document can only be granted by civil court and irrespective of the fact that the instrument pertains to agricultural land, the suit would not be barred under Section 207 of the Tenancy Act. Therefore, the trial court in each case, where a issue in this regard is raised, based on the stage of the suit i.e. either based on the plaint averments or the evidence available on record would have to come to a conclusion as to whether the facts as alleged, if established or as established in a case where evidence has been led makes the instrument void or voidable and decide accordingly.

The fact that even in a case of a void document a relief of declaration in this regard has been sought, as laid down in the case of Rukmani (supra) once the declaration about status of Tenancy rights is granted, the consequential relief to the effect that the instrument in question is void and ineffective can always be granted by the revenue court.

27. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से विवादित संपत्ति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य

संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई है:-

1. पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय होने की स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।
2. अगर वादपत्र में विवादित संपत्ति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का मुख्य अनुतोष है तथा अन्य अनुतोष आनुषंगिक है उस स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।
3. अगर वादपत्र में विवादित संपत्ति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपत्ति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषंगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।

28. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1269-1270/2019 बउनवान **Pyarelal vs Shubhendra Pilonia (Minor)** में दिनांक 29.01.2019 को दिये गये निर्णय में पंजीकृत दस्तावेज के शून्य व शून्यकरणीय होने के आधार पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विवाद के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

11 Section 9 of the Code of Civil Procedure provides thus:

“9. Courts to try all civil suits unless barred - The Courts shall (subject to the provisions herein contained) have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred.

Explanation I - A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies.

Explanation II - For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in Explanation I or whether or not such office is attached to a particular place.” Section 9 empowers civil courts to try all suits of a civil nature unless expressly or impliedly barred by any statute.

12 Section 256 of the Tenancy Act provides thus:

“256. Bar to jurisdiction of civil courts — (i) Save as otherwise provided specifically by or under this Act, no suit or proceeding shall lie in any civil court with respect to any matter arising under this Act or the rules made thereunder, for which a remedy by way of suit, application, appeal or otherwise is provided therein.

(2) Save as aforesaid no order passed by the State Government or by any revenue court or officer in exercise of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder, shall be liable to be questioned in any civil court.” Section 256 bars the jurisdiction of civil courts, save as otherwise provided under the Tenancy Act. Civil courts are expressly barred from trying a suit or proceeding with respect to matters arising under the Tenancy Act or rules made under it for which a remedy by way of a suit, application, appeal or otherwise is provided in the Tenancy Act.

13 Section 207 of the Tenancy Act provides thus:

“207. Suits and applications cognizable by revenue court only— (1) All suits and applications of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.

(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application.

Explanation.— If the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted.”

Section 207 of the Tenancy Act states that no court other than a revenue court shall take cognizance of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule. Such suits can be heard and determined by a revenue court which has exclusive jurisdiction. The explanation clarifies that if the cause of action is one in respect of which relief may be granted by the revenue court, then it is immaterial that a relief sought from the civil court is greater than, in addition to or not identical to the relief sought from the revenue

court. Where a suit is of a nature specified in any of the provisions of the Third Schedule, the bar under Section 256 is attracted and the revenue courts have exclusive jurisdiction to try the suit.

14 In Bank of Baroda v Moti Bhai⁴, a two judge Bench of this Court dealt with the question of jurisdiction under Sections 207 and 256 of the Tenancy Act. A bank had sanctioned a demand loan facility to the respondent for which the respondent executed a promissory note and a simple mortgage in favour of the bank. On his failure to repay the loan, the Bank instituted a suit in the civil court for recovery. The respondent raised a preliminary objection that the suit was essentially one for enforcing the mortgage and that the revenue court had the exclusive jurisdiction to entertain the suit by reason of the provisions contained in the Tenancy Act. The Trial court dismissed the objection. Allowing the revision filed by the respondent, the High Court held that that the mortgage deed in respect of agricultural lands formed an essential part of the cause of action. Upon an analysis of Sections 207 and 256 of the Tenancy Act, a two judge Bench of this Court set aside the judgment of the High Court with the following reasons:

“5. A combined reading of these two sections would show that the jurisdiction of civil courts is barred only in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act and in respect of suits or applications based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of a suit or application of the nature specified in the Third Schedule. The civil court has no jurisdiction to entertain a suit or proceeding with respect to any matter arising under the Act or the Rules made thereunder, provided that a remedy by way of a suit, application or appeal or otherwise is provided in the Act.

A loan given by a Bank to an agriculturist, which is in the nature of a commercial transaction, is outside the contemplation of the Act and can, by no stretch of imagination, be said to be in respect of any matter arising under the Act... The business of the Bank, in so far as lending transactions are concerned, is not to lend moneys on mortgages but the business is to lend moneys.

8. On the question of jurisdiction, one must always have regard to the substance of the matter and not to the form of the suit. If the matter is approached from that point of view, it would be clear that, primarily and basically, the suit filed by the Bank is one for recovering the amount which is due to it from the respondents on the basis of the promissory note executed by respondent 1 and the guarantee given by respondents 2 and 3.” (Emphasis

supplied) Section 207 read with Section 256 of the Tenancy Act bars the jurisdiction of the civil courts in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act. The question before us is whether the relief claimed by the appellant can be granted exclusively by a revenue court under the provisions of the Tenancy Act.

15 Section 88 of the Tenancy Act provides thus:

“88. Suits for declaration of right:- (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.”

Sl. No. 5 of the Third Schedule provides thus:

“THE THIRD SCHEDULE Suits, Applications and Appeals under the Act (See Sections 207, 214, 215 & 217)
S. Section Description of suit, application or Period of Time Proper Court/ No. of Act appeal limitation from Court Fees Officer which competent period to dispose begins to of run

“THE THIRD SCHEDULE

Suits, Applications and Appeals under the Act

(See Sections 207, 214, 215 & 217)

S.No.	Section of Act	Description of suit, application or appeal	Period of limitation	Time from which period begins to run	Proper Court Fees	Court/Officer competent to dispose of
5.	88	Suit for declaration of the plaintiffs right :- (i) as a tenant, or (ii) as a tenant of khudkasht, or (iii) as a sub-tenant, or (iv) for a share in a joint tenancy		None	One rupee	Assistant Collector

Sl. No. 5 in the Third Schedule read with Section 207 of the Tenancy Act stipulates that a suit for the declaration of a right provided in Section 88 would lie before a revenue court. In a suit where the relief sought for is the declaration of the right stipulated in Section 88, Sections 207 and 256 read with the Third Schedule bar the

*jurisdiction of civil courts and vest jurisdiction exclusively
with a revenue court.*

29. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से विवादित संपत्ति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई है:-

1. राजस्व न्यायालय से विवादित संपत्ति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात ही विवादित संपत्ति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है कि अगर वादपत्र में विवादित संपत्ति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपत्ति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषंगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। उक्त विधि की स्थिति के संबंध में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादीगण का अभिकथन है कि वादीगण के अनुतोष को प्रदान करने में राजस्व न्यायालय अधिकृत है।

31. प्रकरण में दिनांक 06.09.1963 को वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रुपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी घोषित की जावे। इस संबंध में प्रदर्शनी-1 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि भीखा पुत्र तीजोबाई व गुणेशा पुत्र तीजोबाई ने मुतनाजा आराजी में अपने 1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादीगण के पक्ष में 900 रुपये का प्रतिफल प्राप्त करते हुए दिनांक 06.09.1963 को कर दिया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा में भीखा पुत्र तीजोबाई की उम्र 20 वर्ष बताई गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त आराजी का बेचान पूर्व में जरिये पंजीबद्ध बयनामा किया जा चुका है। इस आधार पर हस्तगत प्रकरण में पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 को इस आधार पर हाजा न्यायालय में चुनौती दी गई है कि प्रश्नगत पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के निष्पादन के समय विक्रेता नाबालिग था एवं राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम दर्ज नहीं था। उक्त दोनों ही आधार पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 को शून्यकरणीय होने के आधार पर निरस्त करवाने के आधार प्रतीत होते हैं। उक्त आधारों पर पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 आरम्भ से शून्य व अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 को शून्यकरणीय होने के आधार पर निरस्त करने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

32. प्रकरण में वादी के दावे को एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात होता है कि जहां एक तरफ वादी का अभिकथन है कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के

सदस्य हैं। इस संबंध में वादी द्वारा कोई पारिवारिक सजरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ना ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य गवाह प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी की माता और काछबा की पहली पत्नी पंखिया की दूसरी शादी छोटू में गंगाराम के पिता से की गई थी। पंखिया से ही छोटू में गंगाराम का जन्म हुआ। तत्पश्चात् काछबा की दूसरी पत्नी से जीयाराम का जन्म हुआ। इस प्रकार वादी का परिवार बिल्कुल अलग है और प्रतिवादी का परिवार बिल्कुल अलग है। वक्त बंदोबस्त सहवन से गंगाराम की पत्नी तीजो/तेजी का नाम खतौनी बंदोबस्त में अंकित किया गया। जबकि तीजो/तेजी बेवा गंगाराम या गंगाराम का कभी भी मुतनाजा आराजी पर बंदोबस्त से पूर्व या बंदोबस्त के समय या आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस संबंध में राव की बही व राव को उभयपक्षकारों के पूर्वजों की जानकारी के संबंध में न्यायालय को अवगत करवाने हेतु न्यायालय में तलब किया गया। मुताबिक राव की जानकारी वादीगण यह साबित करने में असफल रहे कि इनका नगर में कोई पारिवारिक संबंध या निवास रहा हो। जबकि प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहे कि वादी का नगर से कोई संबंध में नहीं है। वादी व प्रतिवादी का कोई पारिवारिक संबंध सरोकार नहीं है। असल में वादी व प्रतिवादी का गोत्र या उपजाति का भी कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी का यह कथन मजबूत प्रतीत होता है कि वक्त बंदोबस्त के समय वादी के पूर्वज का नाम खतौनी बंदोबस्त में सहवन से दर्ज किया गया हो।

33. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय प्रत्येक काश्तकार बतौर खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मौके पर काबिज काश्त रकबे के अनुसार खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
34. इस प्रकार प्रकरण में सर्वप्रथम वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मौके पर काबिज काश्त रकबे के अनुसार खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वक्त बंदोबस्त के समय तेजी बेवा गंगाराम का मुतनाजा आराजी में 1/2 हिस्से का राजस्व इन्द्राज सहवन से अंकित प्रतीत होता है। साथ ही मान भी लिया जाए कि तेजी बेवा गंगाराम का मुतनाजा आराजी में 1/2 हिस्सा रहा हो तो उस स्थिति में वादी द्वारा पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 द्वारा उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादीगण के पूर्वज को प्रतिफल प्राप्त करते हुए किया जा चुका है। अब केवल इस आधार पर वादी का दावा है कि तेजी बेवा गंगाराम का नामांतरकरण वादी के पक्ष में नहीं खोला जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज किया गया है। इसका खण्डन करते हुए प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत को

दिनांक 06.09.1963 को तत्समय 900 रूपये नगद अदा कर पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी घोषित की जावे। इस प्रकार प्रथमतया वादीगण का मुतनाजा आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। एक दफा तेजी बेवा गंगाराम की विरासत प्रतिवादी के पक्ष में गलत दर्ज होने के आधार पर वादी का मुतनाजा आराजी पर अधिकार मान भी लिया जाए तो भी वादी द्वारा अपने अधिकार का प्रतिफल प्राप्त करते हुए अंतरण प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया गया है। इस प्रकार निष्कर्षतः उक्त प्रकरण में प्रतिवादी तनकी संख्या-03 को साबित करने में सफल रहे हैं तथा वादी तनकी संख्या 01 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या-01 वादी के विरुद्ध स्वीकार करते हुए तनकी संख्या-03 प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

35. प्रकरण में अन्य तनकीयात असल में एक ही तनकी संख्या 01 व 03 पर आधारित तनकी हैं। तनकी संख्या 02 वादी को खातेदारी अधिकार घोषित करते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादी के विरुद्ध स्वीकार किये जाने के कारण तनकी संख्या 02 भी वादी के विरुद्ध स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार तनकी संख्या-06 पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उक्त तनकी का सारतः विश्लेषण तनकी संख्या 03 में किया जा चुका है। इसी प्रकार तनकी संख्या 05 एवं 07 वादी के दावा को खारिज किये जाने से संबंधित है। तनकी संख्या 01 के वादी के विरुद्ध स्वीकार होने के कारण उक्त तनकी संख्या 05 व 07 पर पृथक से विश्लेषण का औचित्य नहीं रह जाता है। तनकी संख्या 04 वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। साथ ही वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने का अनुतोष भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार वादी का मुतनाजा आराजी से कोई संबंध व स्वामित्व नहीं होकर मौके पर कोई वैध कब्जा नहीं है। इस आधार पर वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रबल प्रकरण बनता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को आराजी आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकब 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी पर पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण को उक्तानुसार वादीगण का नाम कलमजन करते हुए राजस्व इंड्राज दुरस्त करवाने

का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर हस्तक्षेप नहीं करें।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2011 / 00055

दर्ज तिथि:-21.07.2011

1. भीखाराम पुत्र गंगाराम
जाति विश्नोई निवासी नगर हाल निवासी छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....वादी
- बनाम
1. हीराराम पुत्र जीयाराम के कायम मुकाम
1/1 हनुमानाराम पुत्र हीराराम
1/2 नारायणराम पुत्र हीराराम
1/3 ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
1/4 सोनीदेवी पत्नी हीराराम
2. रामलाल पुत्र जीयाराम
3. भैराराम पुत्र अर्जुनराम
4. जगदीश पुत्र अर्जुनराम
5. सोहन पुत्र अर्जुनराम
6. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम
7. मु. काली बेवा अर्जुनराम
8. भागीरथ पुत्र तुलछाराम
9. हेमाराम पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम
9/1 कमला पत्नी हेमाराम
9/2 सचीन पुत्र हेमाराम
9/3 खुशी पुत्री हेमाराम
प्रतिवादी संख्या 9/2 से 9/3 नाबालिग की कुदरती वली संरक्षक माता कमला पत्नी हेमाराम प्रतिवादी संख्या 9/1 जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी
10. धुड़ाराम पुत्र तुलछाराम
11. जगदीश पुत्र तुलछाराम
जाति विश्नोई निवासी देशांतरी नाडी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....असल प्रतिवादीगण
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को आराजी आराजी खसरा संख्या 303 रकबा 139-00 बीघा, 376 रकब 18-11 बीघा एवं 302 रकबा 0-06 बीघा कुल रकबा 157-17 बीघा मौजा नगर तहसील गुड़ामालानी पर पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.09.1963 के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण को उक्तानुसार वादीगण का नाम कलमजन करते हुए राजस्व इंड्राज दुरस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर हस्तक्षेप नहीं करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर